From,

District Magistrate,
Bagpat

To,

The Registrar (General),
National Green Tribunal
Principal bench
New Delhi

No: 887/OA 410-411/Poll./Mrt   Date: 7/11/2023

Subject: Report in compliance of the order dt. 19.10.2023 passes by Hon'ble NGT, New Delhi in OA NO 410/2023 Vipin Vs State of Uttar Pradesh & Ors with OA No 411/2023 Bijender Dhama Vs State of Uttar Pradesh & Ors.

Sir,

In compliance of the order dated 03.07.2023 passed by Hon'ble NGT in the above noted matter, Action Taken Report of the joint committee has been submitted by UPPCB earlier on dt. 16.10.2023.

In the above noted case Hon'ble Tribunal was further pleased to pass the following direction dt. 19.10.2023 as follows -

"2. Learned Counsel appearing for the SEIAA, UP has failed to disclose if the illegal mining is still going on by the Project Proponents. She is directed to take clear instructions in this regard and appraise the Tribunal on the next date of hearing.

3. The District Magistrate, Baghpat and Regional Officer, UPPCB having jurisdiction over Baghpat are directed to remain personally present by virtual mode before the Tribunal to appraise the Tribunal on the issue of action taken in this regard. "

In compliance of the orders of the Honourable Tribunal a fresh report has been submitted by the Additional District Magistrate/OC mining Baghpat dated 28.10.2023, which specifically mentions that all illegal mining was stopped on the spot on 06.06.2023 and the strict legal action including seizure of vehicles, Lodging of FIR against concerned persons and imposition of fines has been ensured. It should be also noted that the accused firm has filed a writ NO. 27135/2023 before Hon'ble high Court, who on 12.10.2023 deciding the writ has passed following order "In this view of the matter, we are of the definite view that the order dated 12th July, 2023 cannot be sustained in the eyes of law and thus deserves to be set aside. We accordingly, quash the order dated 12th July, 2023 and remand the matter back to the District Magistrate who shall in accordance with law after considering the objection which was filed by the peritioner on 21st June, 2023 decide the matter afresh by passing a speaking and a reasoned order" In compliance of the above Order, Undersigned has issued a notice to plaintiff M/s Anjanisut Infrastructure private limited to present their view/side before undersigned by 10-11-2023. The said report is enclosed with this letter in compliance of the orders of the Honourable Tribunal.

With regards,

Enclosure: Report.

Yours Sincerely,

06.11.2023

(Jitendra Pratap Singh)
District Magistrate, Baghpat

From,

District Magistrate,
Bagpat

To,

The Registrar (General),
National Green Tribunal
Principal bench
New Delhi

No: 887/OA410-411/Poll./Mrt Date: 7/11/2023

Subject: Report in compliance of the order dt. 19.10.2023 passes by Hon'ble NGT , New Delhi in OA NO 410/2023 Vipin Vs State of Uttar Pradesh & Ors with OA No 411/2023 Bijender Dhama Vs State of Uttar Pradesh & Ors.

Sir,

In compliance of the order dated 03.07.2023 passed by Hon'ble NGT in the above noted matter, Action Taken Report of the joint committee has been submitted by UPPCB earlier on dt. 16.10.2023.

In the above noted case Hon'ble Tribunal was further pleased to pass the following direction dt. 19.10.2023 as follows -

"2. Learned Counsel appearing for the SEIAA, UP has failed to disclose if the illegal mining is still going on by the Project Proponents. She is directed to take clear instructions in this regard and appraise the Tribunal on the next date of hearing.

3. The District Magistrate, Baghpat and Regional Officer, UPPCB having jurisdiction over Baghpat are directed to remain personally present by virtual mode before the Tribunal to appraise the Tribunal on the issue of action taken in this regard. "

In compliance of the orders of the Honourable Tribunal a fresh report has been submitted by the Additional District Magistrate/OC mining Baghpat dated 28.10.2023, which specifically mentions that all illegal mining was stopped on the spot on 06.06.2023 and the strict legal action including seizure of vehicles, Lodging of FIR against concerned persons and imposition of fines has been ensured. It should be also noted that the accused firm has filed a writ NO. 27135/2023 before Hon'ble high Court, who on 12.10.2023 deciding the writ has passed following order "In this view of the matter, we are of the definite view that the order dated 12th July, 2023 cannot be sustained in the eyes of law and thus deserves to be set aside. We accordingly, quash the order dated 12th July, 2023 and remand the matter back to the District Magistrate who shall in accordance with law after considering the objection which was filed by the peritioner on 21st June, 2023 decide the matter afresh by passing a speaking and a reasoned order" In compliance of the above Order, Undersigned has issued a notice to plaintiff M/s Anjanisut Infrastructure private limited to present their view/side before undersigned by 10-11-2023. The said report is enclosed with this letter in compliance of the orders of the Honourable Tribunal.

With regards,

Enclosure: Report.

Yours Sincerely,

06.11.2023

(Jitendra Pratap Singh)
District Magistrate,Baghpat

कार्यालय जिलाधिकारी, बागपत।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांकः 1573 /एम0सी0–खनन अनुभाग/2023 दिनांकः 06 नवम्बर, 2023

जिलाधिकारी,
बागपत।

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय पत्रांक 597/एसटीकैम्प–51/2023 दिनांक 21 अक्टूबर, 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन वाद संख्या ओ0ए0सं0–410/2023 विपिन बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.10.2023 के प्रस्तर–2 के अनुपालन में आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है।

प्रकरण के संबंध में अवगत कराना है कि जनपद बागपत के ग्राम सुभानपुर तहसील खेकडा में संचालित खनन परमिट दिनांक 27.04.2023 से दिनांक 26.07.2023 तक के लिए स्वीकृत किया गया था। अनुज्ञा–पत्रधारक के कार्य क्षेत्र की जॉच आकस्मिक रूप से उपजिलाधिकारी, खेकडा द्वारा दिनांक 06.06.2023 को किये जाने पर पृथम दृष्टया यह ज्ञात हुआ कि अनुज्ञप्ति धारक द्वारा नियमों व प्रक्रिया के विपरीत खनन का कार्य किया जा रहा है।

तत्क्रम में श्री हवलदार यादव तत्कालीन खान अधिकारी बागपत, खनन अधिकारी गौतमबुद्धनगर व वरिष्ठ सर्वेक्षक क्षेत्रीय कार्यालय गाजियाबाद, ड्रोन व जी0पी0एस0 की सहायता से दिनांक 07.06.2023 को संयुक्त जॉच की गयी। जॉच के समय कुल क्षेत्र से हटाये गये ओवरवर्डन (मिटटी मिश्रित बालू), क्षेत्र में बनाये गये निकासी रास्ता व अनुज्ञा पत्र के स्वीकृत क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए जी0पी0एस0 के द्वारा सभी कोनो के जियो कोर्डिनेट्स लिये गये, जिसके अनुसार कुल क्षेत्रफल 72,316 वर्गमीटर मापी गयी। इसी क्षेत्र में कुल 13 बालू खनन के पिट्स पाये गये, जिनमें कुल 22073 वर्गमीटर क्षेत्र से 44623 घनमीटर साधारण बालू का खनन व परिवहन किया जाना पाया गया। इस प्रकार अनुमन्य मात्रा से 24623 घनमीटर अधिक साधारण बालू का अवैध रूप से खनन कर परिवहन किया जाना पाया गया। जिसके सम्बन्ध में तत्कालीन खान अधिकारी, बागपत द्वारा मु0अ0सं0 220/23 अन्तर्गत धारा–379, 411 भा0दं0सं0, धारा 4/21 खान व खनिज (विकास का विनियमन) अधि0 व धारा 3(1), 72(1) उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली 2021 व 3/5 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधि0 थाना खेकडा जिला बागपत में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी और उसमें 50 से भी अधिक उन वाहनों का भी उल्लेख है, जो मौके पर अवैध खनन कार्यो में लिप्त पाये गये।

उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या 809/ख0लि0/2023 दिनांक 09 जून 2023 के द्वारा मै0 अंजनिसुत इन्फास्ट्रक्चर प्रा0 लि0 डायरेक्टर सुशांत पंवार पुत्र महेश पंवार 16/17 प्रथम तल सेक्टर 41 नोएडा नि0 ए046 मंगल भवन अपोजिट ए0टी0 एस0 पार्क, सेक्टर 50 नोएडा, गौतमबुद्धनगर को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया था।

मै0 अंजनिसुत इन्फास्ट्रक्चर प्रा0लि0 के डायरेक्टर सुशांत पंवार पुत्र महेश पंवार द्वारा दिनांक 23.06.2023 को नोटिस का प्रति उत्तर प्रस्तुत करते हुए मुख्यतः कहा है कि

..........क्रमशः 2 पर

सन्दर्भित नोटिस दिनांक 10.06.2023 को कम्पनी के पूर्व निदेशक श्री सुशांत पंचार के हाल निवास ए–46, मंगल भवन, सेक्टर–50, नोएडा के पते पर प्राप्त हुआ था, जो कि दिनांक 02.01.2023 को ही निदेशक पद से त्याग–पत्र दे चुके है। दिनांक 07.06.2023 को कम्पनी को दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना मिली की प्रार्थी कम्पनी द्वारा कोई खनन पट्टा 20000 घनमीटर हेतु लिया गया है परन्तु कम्पनी द्वारा अनुमति से अधिक खनन कार्य करने के कारण, मौके पर उपजिलाधिकारी एवं कुछ अन्य प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया तथा 50 डम्पर एवं 12 पोर्कलेन सहित एक फॉर्च्यूनर कार सहित कुछ ट्रैक्टर ट्राली भी जब्त किए गए है। अन्त में उनके द्वारा कहा गया कि प्रार्थी कम्पनी द्वारा न तो कोई अनुज्ञा हेतु आवेदन ही दिया है एवं न ही अनुज्ञा हेतु कोई रायल्टी ही जमा की गई है।

उक्त प्रश्नगत अनुज्ञप्ति धारक द्वारा उत्तर प्रदेश उपखनिज परिहार नियमावली 2021 के नियम 3 व 72 एवं खान व खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनिमय 1957 की धारा 4/21 व अनुज्ञा पत्र की शर्तो का उल्लघंन करने के दृष्टिगत मै0 अंजनिसुत इन्फास्ट्रक्चर प्रा0लि0 द्वारा डायरेक्टर सुशांत पंवार पुत्र महेश पंवार 16/17 प्रथम तल सेक्टर 41 नोएडा निवासी ए046 मंगल भवन अपोजिट ए0टी0एस0 पार्क, सेक्टर 50 नोएडा गौतमबुद्धनगर के पक्ष में **ग्राम सुभानपुर के गाटा संख्या 397, 398, 399 व 400 कुल रकबा 1.3900 है0 में से 20,000 घनमीटर साधारण बालू हटाने हेतु दिनांक 27.04.2023 से 03 माह तक स्वीकृत अनुज्ञप्ति को तत्कालिक प्रभाव से कार्यालय आदेश संख्या 905/ख0लि0–अनुमति दिनांक 12.07.2023 को निरस्त किया गया। साथ ही अंकन 1,07,06,620/–(एक करोड सात लाख छः हजार छः सौ बीस रूपये मात्र) रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित कर वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया।**

कार्यालय आदेश संख्या 905/ख0लि0–अनुमति दिनांक 12.07.2023 के विरूद्ध मै0 अंजनिसुत इन्फास्ट्रक्चर प्रा0लि0 के डायरेक्टर सुशांत पंवार पुत्र महेश पंवार द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या 27135/2023 मै0 अंजनिसुत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 बनाम उ0प्र0 राज्य व 5 अन्य योजित की गयी थी। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा उक्त रिट याचिका में दिनांक 12.10.2023 को पारित आदेश के कियान्वयात्मक अंश निम्नवत है:–

"In this view of the matter, we are of the definite view that the order dated 12th July, 2023 cannot be sustained in the eyes of law and thus deserves to be set aside. We accordingly, quash the order dated 12th July, 2023 and remand the matter back to the District Magistrate who shall in accordance with law after considering the objection which was filed by the peritioner on 21st June, 2023 decide the matter afresh by passing a speaking and a reasoned order"

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.10.2023 के अन्तर्गत जिलाधिकारी, बागपत द्वारा पारित आदेश दिनांक 12 जुलाई, 2023 को set aside करते हुए मै0 अंजनिसुत इन्फास्ट्रक्चर प्रा0लि0 द्वारा दिनांक 21 जून, 2023 को प्रस्तुत किये गये प्रतिउत्तर के क्रम में पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए कारण सहित speaking order निर्गत किये जाने के आदेश पारित किये गये है। जिसके अनुपालन में मै0 अंजनिसुत इन्फास्ट्रक्चर प्रा0लि0 के डायरेक्टर सुशांत पंवार पुत्र महेश पंवार को अपना लिखित कथन/

..........क्रमशः 3 पर

पक्ष दिनांक 10.11.2023 तक प्रस्तुत करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि खान अधिकारी, बागपत द्वारा ग्राम सुभानपुर में प्रश्नगत साधारण बालू खनन स्थल पर दिनांक 06.11.2023 को पहुॅचकर निम्नानुसार व्यक्तियों के लिखित बयान लिये गयेः–

01–सभासद वार्ड–1 श्री संजय पुत्र फकीरचन्द उम्र 38 वर्ष।
02–सभासद वार्ड–2 जगरेश पुत्र लिच्छू उम्र 30 वर्ष।
03–सभासद वार्ड–3 सविता पत्नी मिने उम्र 50 वर्ष।
04–सभासद वार्ड–5 मितलेश पत्नी श्री राजेश कुमार उम्र 48 वर्ष।
05–सभासद वार्ड–6 सन्तोष पत्नी जिले सिंह उम्र 65 वर्ष।
06–सभासद वार्ड–7 मोनूराम पुत्र मांगेराम उम्र 35 वर्ष।
07–सभासद वार्ड–8 यतेन्द्र पुत्र राजकुमार उम्र 32 वर्ष।
08–सभासद वार्ड–11 सुशील पुत्र गंगाशरण उम्र 50 वर्ष।
09–कृष्णपाल पुत्र राजपाल उम्र 45 वर्ष स0स0ग0विक्रेता।
10–श्री प्रशान्त कुमार पुत्र राजेश्वर उम्र 24 वर्ष पंचायत सहायक।

समस्त निवासीगण ग्राम सुभानपुर, तहसील खेकडा, जनपद बागपत।

उपरोक्त सभी व्यक्तियों द्वारा अपने बयान में उल्लिखित किया गया कि प्रश्नगत बालू खनन दिनांक 06.06.2023 को बन्द कराया गया था। खनन बन्द होने के बाद से ग्राम सुभानपुर में आज तक कोई वैध/अवैध बालू खनन नही हुआ है। विभागीय पोर्टल upmines.upsdc.gov.in पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह पुष्टि की गयी है कि उपरोक्त बालू खनन हेतु कोई भी परिवहन प्रपत्र दिनांक 06.06.2023 के बाद से जारी नही किया गया है।

अतः प्रकरण में दिनांक 06.11.2023 को दर्ज किये गये समस्त सभासदगणों एवं अन्य के बयान मूल रूप में संलग्न कर आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

<u>संलग्नकः यथौपरि।</u>

06.11.23
जिला खान अधिकारी,
बागपत।

6/11/23
अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)
बागपत।

बयान

मैं संजय पुत्र फकीरचन्द उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम सुभानपुर तहसील खेकड़ा सशपथ बयान करता हूँ कि मेरे ग्राम - सुभानपुर में अप्रैल 2023 से बालू का खनन हो रहा था जिसका संज्ञान लेते हुए उपजिलाधिकारी महोदय खेकड़ा व अन्य अधिकारियों द्वारा प्रश्नगत बालू खनन को दिनांक 06-06-23 को बन्द कराया गया था। प्रश्नगत खनन बन्द होने के बाद से ग्राम सुभानपुर में आज तक कोई वैध / अवैध रेत / बालू खनन नहीं हुआ है। बयान पढ़कर तसदीक किया गया। संजय
06-11-23

सभासद वार्ड -1
सुभानपुर
M. N. - 6398690222

R.O.E

06.11.2023

(सोमेन्द्र कुमार तिवारी)
खान अधिकारी
जनपद—बागपत

बयान

मैं जगरेश पुत्र सिच्छू उम्र 30 वर्ष जाति वालमिकि निवासी ग्राम सुभानपुर तहसील खेकड़ा सशपथ बयान करता हूँ कि मेरे ग्राम सुभानपुर मे अप्रैल 2023 से बालू का खनन हो रहा था। जिसका संज्ञान लेते हुए उपजिलाधिकारी महोदय खेकड़ा व अन्य अधिकारियों द्वारा प्रश्नगत बालू खनन को दिनांक 06-06-23 को बन्द कराया गया था। प्रश्नगत खनन बन्द होने के बाद से ग्राम-सुभानपुर से आज तक कोई वैध/अवैध रेत(बालू) खनन नहीं हुआ है बयान पढ़कर तसदीक किया गया।

जगरेश
06-11-23
Mb:- 6398308485
सभासद वार्ड नं० - 2
सुभानपुर

R.O.F

06.11.23
(सोमेन्द्र कुमार तिवारी)
खान अधिकारी
जनपद–बागपत

बयान

मैं सविता पुत्र/पत्नि मि० उम्र 50 वर्ष जाति वाल्मिकी निवासी ग्राम-सुभानपुर सशपथ बयान करता हूँ कि मेरे ग्राम-सुभानपुर में अप्रैल-2023 से बालू का खनन हो रहा था। जिसका संज्ञान लेते हुए उपजिलाधिकारी महोदय खेकड़ा व अन्य अधिकारियों द्वारा प्रश्नगत बालू खनन को दिनांक-06-06-23 को बन्द कराया गया था। पश्चात खनन बन्द होने के बाद से ग्राम-सुभानपुर में आज तक कोई वैध/अवैध रेत/बालू खनन नहीं हुआ है। बयान पढ़कर तसदीक किया गया।

सविता
06-11-23
Mo.No- 9711323264
सभासद वार्ड न०- 3 सुभानपुर

R.O.F
06.11.2023
(सोमेन्द्र कुमार तिवारी)
खान अधिकारी
जनपद-बागपत

बयान

मैं मितलेश पत्नी राजेश कुमार उम्र 48 वर्ष जाति बढ़ई निवासी ग्राम- सुभानपुर तहसील खेकड़ा सशपथ बयान करता हूँ कि मेरे ग्राम सुभानपुर में अप्रैल- 2023 से बालू का खनन हो रहा था। जिसका संज्ञान लेते हुए उपजिलाधिकारी महोदय खेकड़ा व अन्य अधिकारियों द्वारा प्रश्नगत बालू खनन को दिनांक 06-06-23 को बन्द कराया गया था। प्रश्नगत खनन बन्द होने के बाद से ग्राम सुभानपुर में आज तक कोई वैध। अवैध रेत / बालू खनन नहीं हुआ है। बयान पढ़कर तसदीक किया गया।

मितलेश
06/11/23
सभासद वार्ड नं.- 5
सुभानपुर
M.- 7505013066

R.O.F

06.11.2023
(सोमेन्द्र कुमार तिवारी)
खान अधिकारी
जनपद—बागपत

बयान

मैं संतोष पुत्र/पत्नि खिलेसिंह उम्र 65 जाति सैनी निवासी ग्राम-सुभानपुर सशपथ बयान करता हूँ कि मेरे ग्राम-सुभानपुर में अप्रैल-2023 से बालू का खनन हो रहा था। जिसका संज्ञान लेते हुए उपजिलाधिकारी महोदय खेकड़ा व अन्य अधिकारियो द्वारा प्रश्नगत बालू खनन को दिनांक 06-06-23 को बन्द कराया गया था। प्रश्नगत खनन बन्द होने के बाद से ग्राम सुभानपुर मे आज तक कोई वैध/अवैध रेत/बालू खनन नही हुआ है। बयान सुनकर तसदीक किया गया।

संतोष नि० अंगूठा
06/11/23
सभासद वार्ड संख्या - 6
सुभानपुर

M.No. - 9761984693

R.O.F

06.11.2023
(सोमेन्द्र कुमार तिवारी)
खान अधिकारी
जनपद–बागपत

बयान

मैं मोनूराम पुत्र मांगेराम उम्र 35 वर्ष जाति कुम्हार निवासी ग्राम सुभानपुर सशपथ बयान करता हूँ कि मेरे ग्राम-सुभानपुर में अप्रैल-2023 से बालू का खनन हो रहा था। जिसका संज्ञान लेते हुए उपजिलाधिकारी महोदय खेकड़ा व अन्य अधिकारियों द्वारा प्रश्नगत बालू खनन को दिनांक-06-06-23 को बन्द कराया गया था। प्रश्नगत खनन बन्द होने के बाद से ग्राम-सुभानपुर में आज तक कोई वैध/अवैध रेत/बालू खनन नहीं हुआ है।

बयान पढ़कर तसदीक किया गया।

Monu Ram
06-11-23

मोनू राम
वार्ड नं.- 7
~~सदस्य~~ → पंचायत
सदस्य - ग्राम पंचायत
M - 9761307444

R.O.E

(सोमेन्द्र कुमार तिवारी)
खान अधिकारी
जनपद–बागपत
06.11.2023

ब्यान

मैं यतेन्द्र पुत्र राजकुमार उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम सुभानपुर तहसील- खेकड़ा सशपथ ब्यान करता हूँ कि मेरे ग्राम - सुभानपुर में अप्रैल 2023 से बालू का खनन हो रहा था। जिसका संज्ञान लेते हुए उपजिलाधिकारी महोदय खेकड़ा व अन्य अधिकारियों द्वारा प्रश्नगत बालू खनन को दिनांक 06-06-23 को बन्द कराया गया था। प्रश्नगत खनन बन्द होने के बाद से ग्राम-सुभानपुर से आज तक कोई वैध/अवैध रेत/बालू खनन नहीं हुआ है। ब्यान पढ़कर तसदीक किया गया।

Yatendra | 06-11-23
सभासद वार्ड संख्या-8
सुभानपुर
9368384481

R.O.F

[signature] 06.11.2023

(सोमेन्द्र कुमार तिवारी)
खान अधिकारी
जनपद—बागपत

बयान

मैं सुशील कु० पुत्र गंगासरण उम्र ५० वर्ष जाति त्यागी निवासी ग्राम सुभानपुर अपने पूरे होश हवास (सशपथ) बयान करता हूँ कि मेरे ग्राम-सुभानपुर में अप्रैल-२०२३ से बालू का खनन हो रहा था जिसका संज्ञान लेते हुए उपजिलाधिकारी महोदय खेकड़ा व अन्य अधिकारियो द्वारा प्रश्नगत बालू खनन को दिनांक 06-06-23 को बन्द कराया गया था। प्रश्नगत खनन बन्द होने के बाद से ग्राम सुभानपुर में आज तक कोई वैध/अवैध रेत/बालू खनन नही हुआ है। बयान पढ़कर तसदीक किया गया।

सुशील कुमार
06/11/23
वार्ड नं. 11 सभासद
सुभानपुर (खेकड़ा)
(बागपत)
M-97616000?0

R.O.F
06.11.2023
(सोमेन्द्र कुमार तिवारी)
खान अधिकारी
जनपद–बागपत

बयान

मैं कृष्णपाल पुत्र राजपाल उम्र-45 वर्ष लगभग जाति-कुम्हार निवास… ग्राम-सुभानपुर सशपथ बयान करता हूँ कि मेरे ग्राम-सुभानपुर में अप्रैल-2023 से बालू का खनन हो रहा था। जिसका संज्ञान ले… हुए उपजिलाधिकारी महोदय खेकड़ा व अन्य अधिकारियो द्वारा प्रश्नगत बालू खनन को दिनांक-06-06-23 को बन्द कराया गया था। प्रश्नगत खनन बन्द होने के बाद से ग्राम-सुभानपुर में आज तक कोई वैध/अवै… रेत/बालू खनन नही हुआ है। बयान पढ़कर तसदीक किया गया।

कृष्णपाल
06-11-2…
स० गा० विक्रेता
सुभानपुर (खेकड़ा)
(बागपत)
8006862360

K.O.F

…11.2023
(सोमेन्द्र कुमार तिवारी)
खान अधिकारी
जनपद-बागपत

ब्यान

मैं प्रशान्त कु० पुत्र राजेश्वर उम्र 25 वर्ष जाति बढ़ई निवासी ग्राम सुभानपुर सशपथ ब्यान करता हूँ कि मेरे ग्राम - सुभानपुर में अप्रैल-2023 से बालू का खनन हो रहा था। जिसका संज्ञान लेते हुए उपजिलाधिकारी महोदय खेकड़ा व अन्य अधिकारियों द्वारा प्रश्नगत बालू खनन को दिनांक-06-06-23 को बन्द कराया गया था। प्रश्नगत खनन बन्द होने के बाद से ग्राम-सुभानपुर में आज तक कोई वैध/अवैध रेत/बालू खनन नहीं हुआ है। ब्यान पढ़कर तसदीक किया गया।

R.O.F

06.11.2023

(सोमेन्द्र कुमार तिवारी)
खान अधिकारी
जनपद—बागपत

Prashant Kumar
6/11/2023
पंचायत सहायक
Mo:- 9627995906